<u>ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण</u> OPA No. - 26108

पत्रांक-ग्रे0नौ0/सम्पत्ति/2009/ 3668
दिनांक- 10-06-09

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 78 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.05.2009 का कार्यवृत्त जिसका अनुमोदन अध्यक्ष, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.06.2009 को किया गया है, के क्रम में आवासीय योजनाओं एवं ग्रुप हाऊसिंग समितियों के माध्यम से आबंटित भूखण्डों के प्रकरण में आर्थिक मन्दी के दृष्टिगत प्राधिकरण की समस्त योजनाओं के आबंटियों को लीजडीड निष्पादन के लिये एक वर्ष तथा भवन निर्माण के लिये एक वर्ष का अतिरिक्त समय बिना किसी विलम्बशुल्क के अनुमन्य किया जाता है । उदाहरण के लिये यदि किसी भूखण्ड के लिये बिना विलम्ब शुल्क के लीजडीड अथवा भवन निर्माण की अन्तिम 31.12.2006 निर्धारित है तो उक्त समयावधि बिना विलम्ब शुल्क के दिनांक 31.12.2007 समझी जायेगी। उसके उपरान्त नियमानुसार विलम्ब शुल्क की गणना की जायेगी।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि यदि किसी आबंटी ने लीजडीड तथा/अथवा भवन निर्माण विलम्ब शुल्क प्राधिकरण खाते में जमा करा दिया है तो वह न तो वापस और न ही समायोजित किया जायेगा।

(शैलेन्द्र चौधरी)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
3. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (G)
4. समस्त प्रबन्धक (सम्पत्ति)

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी